राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांकः– न0नि0 50–132 / 2022 3742

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)

पटना, दिनांक – 8.9.22

विषयः नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 : उम्मीदवारों तथा सरकारी विभागों / कर्मियों के लिए निरूपित आदर्श आचार संहिता संबंधी पुस्तिका उपलब्ध कराने के संबंध में

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 में उपयोग करने हेतु आदर्श आचार संहिता संबंधी पुस्तिका का पी.डी.एफ. कॉपी ई–मेल के माध्यम से आवश्यक कार्यार्थ पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनुरोध है कि आदर्श आचार संहिता संबंधी पुस्तिका की प्रति निर्वाची पदाधिकारियों को अपने स्तर से उपलब्ध कराया जाए, ताकि इसका अवलोकन निर्वाची पदाधिकारी / सहायक निर्वाची पदाधिकारी तथा मास्टर ट्रेनर द्वारा किया जा सके, ताकि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता संबंधी पुस्तिका की मुद्रित प्रति शीघ्र ही आयोग स्तर से उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी सूचना आयोग द्वारा ससमय उपलब्ध करा दी जायेगी। विदित हो कि उक्त पुस्तिका की पी.डी.एफ. प्रति आयोग के वेबसाईट पर संधारित की गयी है।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन

8/9/22

सचिव

ज्ञापांक :– 3742 पटना, दिनांक– 8.9.22

प्रतिलिपि : आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग को वेबसाईट पर पत्र को अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

8/9/22

सचिव

ज्ञापांक :– 3742 पटना, दिनांक– 8.9.22

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं अनुश्रवण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित ।

8/9/22

सचिव

ज्ञापांक :– 3742 पटना, दिनांक– 8.9.22

प्रतिलिपि : सभी प्रधान सचिव / सचिव को सूचनार्थ एवं अनुश्रवण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित ।

8/9/22

सचिव

ज्ञापांक :– 3742 पटना, दिनांक– 8.9.22

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

8/9/22

सचिव

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna-800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612-2507847 E-mail : secbihar@gmail.com

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022

सत्यमेव जयते

उम्मीदवारों,
सरकारी विभागों एवं कर्मियों तथा
नगरपालिकाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निरुपित

आदर्श आचार संहिता

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

D:\Anil Sir\NGR Code of Conduct 2022(AKRUTI)

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के 74वें संशोधन द्वारा नगरपालिका का विधिवत् निर्वाचन कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिका का समय–समय पर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं स्वच्छ निर्वाचन कराने के लिए कृत संकल्पित है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित निर्वाचन कराने की सम्पूर्ण प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता का महत्वपूर्ण स्थान है। आयोग द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश विभिन्न स्तर पर जारी किये गये हैं, जिसमें अभ्यर्थी के सामान्य आचरण, सभाएँ, वाहन, जुलूस आदि के लिए निर्देश का पालन करने की अपेक्षा की गई है।

सभी अभ्यर्थियों को सामान्य आचरण, सभाएं, जुलूस, नाम निर्देशन, कोविड– 19 से संबंधित सावधानियों एवं मतदान के दिन के लिए निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन करना चाहिए ताकि सभी अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध समान अवसर में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

इसी तरह सभी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारीगण की भूमिका निर्वाचन को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में महत्वपूर्ण होती है। निर्वाचन कार्य में लगे शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को न केवल निष्पक्ष होना चाहिए अपितु निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। सामान्यतः निर्वाचन के दौरान शासकीय विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

आदर्श आचार संहिता में उन सभी बातों को शामिल किया गया है, जिनकी जानकारी सभी अभ्यर्थी / शासकीय विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा लोक प्राधिकारी को होनी चाहिए। आदर्श आचार संहिता की इस लघु पुस्तिका में सम्मिलित अंश किसी न किसी कानून का हिस्सा है, इसलिए इसे सर्वसमावेशी नहीं समझा जाना चाहिए और संबंधित विधि के प्रावधानों, प्रक्रियाओं, नियमों तथा निर्देशों की अद्यतन जानकारी से अवगत होते रहना चाहिए।

आशा है कि यह लघु पुस्तिका निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा लोक प्राधिकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

(डॉ0 दीपक प्रसाद)
राज्य निर्वाचन आयुक्त
बिहार

06/9/2022

पटना, वर्ष 2022

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
भाग - 1	आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने की अवधि	1
भाग - 2	उम्मीदवारों के लिए	1-10
भाग - 3	सरकारी विभागों एवं कर्मियों के लिए	10-13
भाग - 4	नगरपालिकाओं के पदाधिकारियां एवं कर्मचारियों के लिए	14
भाग - 5	वैधानिक उपबंध	15-17
भाग - 6	निर्वाचन अपराध	18-23
भाग - 7	क्या करें व क्या न करें	24-26
भाग - 8	1. भ्रष्ट आचरण एवं निर्वाचन अपराध के विषय में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान।	27-30
	2. निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में भारतीय दंड संहिता के प्रावधान।	31-33
	3. अपराध एवं शास्तियों के विषय में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधान।	34-35
	4. बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग और वादन नियंत्रण अधिनियम 1955।	36-37
	5. बिहार सम्पत्ति विरुपण नियंत्रण अधिनियम 1987 (यथा संशोधित 2010)।	38-42
	6. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में निर्गत आवश्यक सूचना।	43

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता

भाग–1

आदर्श आचार संहिता के प्रभाव रहने की अवधि –

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की **अधिसूचना निर्गत की तिथि से सभी जिलों के नगर निकाय क्षेत्रों में** आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी एवं विधिवत् रूप से परिणाम घोषणा तक यह जारी रहेगी।

भाग–2
(उम्मीदवारों के लिए)

1. सामान्य आचरण :

(i) किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।

(ii) मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय या भाषायी भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए।

(iii) उपासना के किसी स्थल, यथा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

(iv) किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलूओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।

(v) किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम, पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा उसके और उसके कार्यकर्त्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए।

(vi) प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके राजनैतिक विचार कैसे भी क्यों न हों। किसी व्यक्ति के कार्यो या विचारों का निरोध करने के लिए किसी दल या उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने जैसे तरीकों का सहारा लेना अथवा ऐसी कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।

(vii) निर्वाचन क्षेत्र में **मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक** की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा, न ही आयोजित करेगा या उसमें उपस्थित होगा।

(viii) उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यो से परहेज करना चाहिए जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अतंर्गत अपराध हों जैसे कि –

(क) ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पैम्प्लेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो;

(ख) किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की सम्भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो;

(ग) किसी चुनाव–सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना;

(घ) मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना;

(ङ) **मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर** किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत माँगना;

(च) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना;

(छ) मतदान/मतगणना केन्द्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक या अशोभनीय या विश्रृंखल आचरण करना या मतदान/मतगणना केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना;

(ज) मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात अपने पक्ष में गलत नाम से मतदान कराने का प्रयास करना।

(9) बिहार सरकार द्वारा सम्पूर्ण बिहार राज्य में शराब बंदी लागू की गई है। किसी उम्मीदवार द्वारा न तो गैर कानूनी शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्त्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चहिए।

(10) **किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि चुनाव प्रचार कार्यो के लिए नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्त्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। किसी मकान आदि के मालिक द्वारा जोर–जबरदस्ती की सूचना देने पर त्वरित समुचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।**

(11) नगरपालिका आम निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवास एवं कार्यालय पर या प्रचार वाहन पर चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर/बैनर आदि का उपयोग किया जा सकता है।

(12) अभ्यर्थी चुनाव प्रचार हेतु अपना कार्यालय भी खोल सकते हैं, परन्तु इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारियों को देंगे कि उनका चुनाव कार्यालय किस स्थान पर अवस्थित है। कार्यालय आदि के खोलने में होने वाला व्यय भी निर्वाचन व्यय की परिधि के अंदर होगा।

(13) किसी भी उम्मीदवार द्वारा या उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे उम्मीदवार या उनके चुनाव क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए।

(14) मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग किया जाना चाहिए।

(15) मतदान केन्द्र/मतगणना केन्द्र पर प्राधिकृत कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान–पत्र अवश्य दिया जाना चाहिए।

(16) चूँकि वर्त्तमान चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना है, इसलिए किसी भी राजनैतिक दल के नाम पर या दल के झण्डा की आड़ में चुनाव प्रचार कार्य नहीं होना चाहिए।

(17) शासकीय/अर्द्धशासकीय परिसदनों, विश्राम गृहों, डाकबंगलों या अन्य आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार/ चुनाव बैठक के लिए किसी भी उम्मीदवार को नहीं करना चाहिए।

(18) **किसी भी सरकारी/सरकार के उपक्रमों के भवन, दीवार तथा चहारदीवारी पर अभ्यर्थी तथा उनके समर्थकों द्वारा –**

(क) किसी तरह का पोस्टर/सूचना नहीं चिपकाया जाना चाहिए।

(ख) किसी तरह का नारा नहीं लिखा जाना चाहिए।

(ग) किसी तरह का बैनर अथवा झंडा नहीं लटकाया जाना चाहिए।

(19) किसी भी उम्मीद्वार या उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं को **अपने पक्ष** में मतदान के लिए नगर अथवा वस्तुओं का वितरण नहीं किया जाएगा और किसी अन्य प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाएगा।

2. सभाएँ :

(1) किसी हाट, बाजार या भीड़–भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन के पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सके।

(2) **सभा करने की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा** दिया जाएगा।

(3) प्रत्येक चरण के मतदान हेतु निर्धारित तिथि को **मतदान समाप्ति हेतु नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान आम सभाओं पर प्रतिबंध** रहेगा।

(4) प्रस्तावित सभा के आयोजन के क्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु आवश्क अनुज्ञा सक्षम पदाधिकारी से सभा के पूर्व प्राप्त कर लेनी चाहिए। **ध्वनि विस्तारक यंत्र/हैंड माइक का उपयोग रात्रि दस बजे से सुबह छः बजे तक प्रतिबंधित** है।

(5) बिना अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति के किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित सभा में ध्वनि विस्तारक यंत्र/हैंड माइक का उपयोग किये जाने पर सहायक अवर निरीक्षक या उसके ऊपर का कोई पुलिस पदाधिकारी उसे जब्त कर सकता है। इसका उल्लंघन किये जाने पर बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग और वादन नियंत्रण अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

(6) किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा आम सभा में व्यवधान/विघ्न उत्पन्न करने/तत्संबंधी प्रयास करने पर आम सभा आयोजकों द्वारा कर्त्तव्य पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों की सहायता प्राप्त की जाए।

(7) प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्त्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न–भिन्न उम्मीदवारों द्वारा पास–पास स्थित स्थानों में सभाएँ की जा रही हों, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरीत दिशाओं में रखे जाने चाहिए।

(8) कोविड–19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिए गए दिशा निदेशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

3. नुक्कड़ सभा–

प्रचार हेतु किए जाने वाले नुक्कड़ सभा की सूचना निर्वाची पदाधिकारी एवं स्थानीय थाना को दी जानी चाहिए। **नुक्कड़ सभा हेतु निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति** प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसे सभाओं में ध्वनि विस्तारक यंत्र/हैंड माइक का उपयोग करने हेतु सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। कोविड–19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिए गए दिशा–निदेशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

4. जुलूस –

(1) किसी उम्मीदवार द्वारा जुलूस के आयोजन की स्थिति में जुलूस के आरम्भ होने का स्थल, समय तथा तिथि, जुलूस का मार्ग तथा जुलूस की समाप्ति का स्थल एवं समय पूर्व से निर्धारित किया जाएगा तथा सामान्यतः इसमें कोई परिवर्त्तन नहीं किया जाएगा। **जुलूस का आदेश निर्वाची पदाधिकारी द्वारा** दिया जाएगा।

(2) उम्मीदवार को चाहिए कि वह अपने जुलूस उन्हीं मार्गो से ले जाये जिसके लिए उन्हें पूर्व से अनुमति मिली हो। इस क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो।

(3) जुलूस का आदेश निर्वाची पदाधिकारी के स्तर से अभ्यर्थी से प्राप्त आवेदन के आलोक में दिया जायेगा।

(4) जुलूस के आयोजकों द्वारा स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को तत्संबंधी कार्यक्रम की लिखित सूचना पूर्व में ही दी जाएगी ताकि पुलिस द्वारा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

(5) किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से नहीं निकाला जाना चाहिए, जिसमें कोई निषेधात्मक आदेश प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो। अगर ऐसा आदेश लागू हो, तो उसका सख्ती से पालन किया जाए।

(6) जुलूस के आयोजकों द्वारा जुलूस को पार करने हेतु आवश्यक व्यवस्था पूर्व से ही कर ली जाएगी ताकि यातायात बाधित न हो अथवा उसमें कोई विघ्न नहीं हो। यदि जुलूस काफी लम्बा हो तो उसे टुकड़ों में आयोजित करेंगे ताकि सुविधाजनक कालान्तर में सड़क/चौराहों पर जुलूस गुजर सके तथा उस क्रम में यातायात भी बाधित नहीं हो।

(7) जुलूस को **सड़क के यथासंभव दाहिना** रखा जाएगा तथा कर्त्तव्य पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारी/ कर्मी के निर्देश एवं सुझाव का अवश्य पालन किया जाए।

(8) यदि दो या अधिक उम्मीदवारों द्वारा एक ही मार्ग अथवा मार्गअंश पर एक ही समय जुलूस के आयोजन का प्रस्ताव हो, तो संबंधित आयोजक एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि जुलूस आपस में नहीं भिड़ने पाये अथवा यातायात बाधित नहीं हो। संतोषजनक व्यवस्था हेतु आयोजन स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को पूरा सहयोग प्रदान करेंगे।

(9) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके जुलूस या रैलियों में लोग ऐसी चीजें /हथियार आदि लेकर न चलें जिनको लेकर चलने में प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो।

(10) प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक

स्थान में दहन किये जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्त्ताओं को रोकना चाहिए।

(11) कोविड–19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिए गए दिशा–निदेशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

5. नाम निर्देशन दाखिल करने के दौरान वाहनों का उपयोग –

नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पर जाने वाले अभ्यर्थी की ओर से ऐसे अधिकारी के **कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित** होगा। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा **100 मीटर की परिधि को स्पष्ट रूप से सीमांकित** किया जाना चाहिए।

नाम निर्देशन के दौरान सभी अभ्यर्थियों, समर्थकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोविड–19 के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिए गए दिशा–निदेशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

6. कोविड–19 संबंधी सावधानियाँ–

सभी उम्मीदवारों, उनके समर्थकों एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी व्यक्तियों द्वारा कोविड–19 के संबधं में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा तत्समय पर दिए गए दिशा–निदेशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा। सभी उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों द्वारा सभाओं, नुक्कड़ सभाओं एवं जुलूस के दौरान कोविड–19 के संबंध में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश का अनुपालन अनिर्वाय होगा। जिसके महत्त्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित हैं :–

(क) सामाजिक दूरी (**Social Distancing**) का अनुपालन,

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को **मास्क पहनना**,

(ग) समय–समय पर **हैंड सेनिटाइजर** का प्रयोग इत्यादि।

कोविड–19 से संबंधित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। कोविड–19 से संबंधित दिशा–निर्देशों के उल्लघंन कि स्थिति में **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत** आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत भी कारवाई की जाएगी।

7. मतदान के दिन (सभी उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों द्वारा)

(1) चुनाव कार्य में संलग्न पदाधिकारियों को शान्तिपूर्ण एवं सुव्यवस्थिति ढ़ंग से मतदान प्रक्रिया के संचालन तथा मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से बिना किसी व्यवधान के करने में सहयोग प्रदान किया जाएगा।

(2) अपने प्राधिकृत कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त **बिल्ले/बैज या पहचान–पत्र** दिया जायेगा।

(3) मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियाँ सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिह्न नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम, उसके पिता/पति का नाम, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए।

(4) बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है। अतः गैरकानूनी शराब/मादक द्रव्य के वितरण पूर्णतः निषेध है, एवं इनका अनुपालन अनिवार्य है।

(5) मतदान केन्द्र के समीप स्थापित **शिविरों में 100 मीटर की दूरी तक अनावश्यक भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी** ताकि विभिन्न उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच तनाव अथवा झगड़ा को टाला जा सके।

(6) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्याशी का शिविर साधारण हो– किसी प्रकार का पोस्टर, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं हो। शिविर में किसी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था नहीं की जाएगी या भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी, तथा

(7) मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी उम्मीदवार या उनके अभिकर्त्ता मतदान कोष्ठ में प्रेवेश नहीं करेंगे।

8. वाहनों के उपयोग की अनुमति के संबंध में–

(क) **नाम निर्देशन के अवसर पर**– नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पर जाने वाले अभ्यर्थी की ओर से ऐसे अधिकारी के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित होगा।

(ख) **चुनाव प्रचार अवधि हेतु** – नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निकाय के वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद पद के अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार के लिए अधिकतम निम्नलिखित वाहन अनुमान्य है :–

नगर निकाय का प्रकार	पदनाम	अनुमान्य वाहन
नगर पंचायत	पार्षद	दो यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन
	उप मुख्य पार्षद	चार यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन अथवा दो हल्का मोटर वाहन
	मुख्य पार्षद	चार यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन अथवा दो हल्का मोटर वाहन
नगर परिषद	पार्षद	दो यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन
	उप मुख्य पार्षद	आठ यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन अथवा चार हल्का मोटर वाहन
	मुख्य पार्षद	आठ यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन अथवा चार हल्का मोटर वाहन
नगर निगम	पार्षद	दो यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन
	उप मुख्य पार्षद	सोलह यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन अथवा आठ हल्का मोटर वाहन
	मुख्य पार्षद	सोलह यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन अथवा आठ हल्का मोटर वाहन

वाहनों की उक्त अनुमान्यता मात्र चुनाव प्रचार कार्य के लिए है जो मतदान के समय की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकता है। इस विहित अवधि के पश्चात् किसी अभ्यर्थी अथवा समर्थक द्वारा प्रचार प्रसार हेतु मोटर वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

यांत्रिक वाहनों की संख्या का निर्धारण निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार को ध्यान में रखकर किया गया है। यांत्रिक वाहनों से कम समय में अधिक क्षेत्रों का दौरा किया जा सकता है तथा अभ्यर्थी अधिकतर मतदाताओं से सम्पर्क कर सकते हैं। **अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित यांत्रिक वाहनों के अतिरिक्त गैर यांत्रिक साधनों यथा रिक्शा, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी इत्यादि से भी प्रचार करना चाहते हैं, तो इसकी अनुमति दी जा सकती है, पर अभ्यर्थी को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जानी चाहिए कि उक्त माध्यमों आदि पर आने वाला व्यय भी उनके निर्वाचन व्यय में जोड़ दिया जाएगा।**

(ग) मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण के संबंध में – प्रत्येक अभ्यर्थी का यह अधिकार है कि वह मतदान के दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण कर यह देखें कि मतदान की प्रक्रिया सही ढ़ंग से चल रही है ताकि उसके समर्थकों /मतदान अभिकर्त्ताओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है।

नगरपालिका आम निर्वाचन में पदों एवं प्रत्याशियों की संख्या अत्यधिक रहने एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से वाहनों के परिचालन पर स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावकारी नियंत्रण रखने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में, अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित प्रकार से यांत्रिक वाहन का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी –

नगर निकाय का प्रकार	पदनाम	अनुमान्य वाहन
नगर पंचायत	पार्षद	चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन/हल्का मोटर वाहन।
	उप मुख्य पार्षद	चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन/हल्का मोटर वाहन।
	मुख्य पार्षद	चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन/हल्का मोटर वाहन।
नगर परिषद	पार्षद	चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन/हल्का मोटर वाहन।
	उप मुख्य पार्षद	चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन/हल्का मोटर वाहन।
	मुख्य पार्षद	चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन/हल्का मोटर वाहन।
नगर निगम	पार्षद	चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ वाहन/हल्का मोटर वाहन।
	उप मुख्य पार्षद	चालक सहित दो यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ/ हल्का मोटर वाहन।
	मुख्य पार्षद	चालक सहित दो यांत्रिक दोपहिया/तिपहियाँ/ हल्का मोटर वाहन।

स्पष्ट किया जाता है कि **अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्त्ता में से जिस व्यक्ति के नाम से वाहन का परमिट दिया गया है, उस व्यक्ति विशेष द्वारा ही उक्त वाहन का प्रयोग/ उपयोग किया जायेगा।**

वाहन हेतु परमिट/अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुमति पत्र की मूल प्रति अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा वाहन के विन्ड स्क्रीन पर चिपकाई जाएगी। परमिट प्राप्त वाहन के अतिरिक्त अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता के द्वारा अन्य किसी भी प्रकार के वाहन का परिचालन वर्जित होगा।

बिना परमिट के वाहन का परिचालन किए जाने पर उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा तथा उक्त अभ्यर्थी को किसी दूसरे वाहन का परमिट नहीं दिया जाएगा। निदेशो की अवहेलना के आरोप में संबंधित अभ्यर्थी पर संगत विधानों के अधनी मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।

9 मतदान कोष्ठ में प्रवेश–

मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के वैध प्रवेश पत्र के बिना मतदान कोष्ठ में प्रवेश नहीं करेगा।

10. प्रेक्षक –

राज्य निर्वाचन आयोग प्रेक्षकों की नियुक्ति कर रहा है। यदि उम्मीदवार या उनके अभिकर्त्ताओं को निर्वाचन संचालन संबंधी कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो, तो वे उसको प्रेक्षक के संज्ञान में लायें।

11. सरकार के पदधारी –

नगरपालिका निर्वाचन के क्रम में सरकार के पदधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ऐसी शिकायत के लिए अवसर न दें कि उन्होंने चुनाव अभियान के प्रयोजनार्थ अपनी पदीय स्थिति का दुरूपयोग किया है और विशेष रूप से वे सरकारी वायुयान, वाहन तंत्र एवं मशीनों सहित सरकारी परिवहन और कर्मचारियों का उपयोग अपने हित साधन के लिए नहीं करेंगे। इस क्रम में निम्नलिखित निदेशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है :–

(क) **मंत्रीगण सरकारी दौरों के कार्यक्रम को चुनाव प्रचार अभियान कार्य के साथ मिश्रित नहीं करेंगे** तथा सरकार तंत्र या कार्मिकों का उपयोग चुनाव प्रचार अभियान में नहीं करेंगे।

(ख) समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में राजकोष की लागत पर विज्ञापन निर्गत करने और निर्वाचन अवधि के दौरान सरकार की उपलब्धियों या किसी योजना विशेष के संबंध में राजनीतिक समाचारों और प्रचार के समर्थक विवरण के लिए सरकारी जन माध्यमों के दुरूपयोग का सावधानी पूर्वक परिहार करना होगा।

(ग) **निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से विवेकाधीन निधि से मंत्रीगण और अधिकारी अनुदान/भुगतान की स्वीकृति नहीं देंगे** और

(घ) निर्वाचन की घोषणा किये जाने के समय से मंत्रीगण, निर्वाचित प्रतिनिधिगण और अन्य अधिकारी **उन नगरपालिका क्षेत्रों में जहाँ निर्वाचन सम्पन्न कराये जा रहे हैं,** निम्नलिखित सावधानियाँ बरतेंगे–

(1) किसी भी रूप में किसी **वित्तिय अनुदान की घोषणा अथवा उसके लिए आश्वासन नहीं देंगे,** या

(2) किसी प्रकार की **परियोजनाओं या योजनाओं का शिलान्यास आदि नहीं** करेंगे, या

(3) **सड़कों के निर्माण, पेयजल सुविधाओं, आदि की व्यवस्था का कोई आश्वासन नहीं देंगे** या

(4) **शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई ऐसी तदर्थ नियुक्ति, किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतों को प्रभावित करे, नहीं करेंगे।**

(5) किसी प्रत्याशी या मतदाता के रूप में अपनी हैसियत के सिवाय केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्रीगण किसी **मतदान केन्द्र अथवा मतगणना–स्थल में प्रवेश नहीं करेंगे।**

(6) निर्वाचन सभाओं का आयोजन करने के सार्वजनिक स्थानों जैसे कि मैदान आदि और निर्वाचन के संबंध में उड़ानों के लिए हैलीपैड के उपयोग को अपने एकाधिकार में नहीं रखेंगे। सभी प्रत्याशियों को उक्त स्थानों और सुविधाओं के उपयोग की अनुमति समान निर्बंधनों और शर्त्ता पर दी जाएगी।

(7) मतदाता के रूप में मतदान हेतु जाने के लिए मंत्रियों, सांसदों या विधायकों की सुरक्षा हेतु सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त सशस्त्र बल का वे इस्तेमान कर सकेंगें। प्रतिनियुक्त अंगरक्षक/सशस्त्र बल मतदान केन्द्र परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि मतदान केन्द्र परिसर के बाहर मंत्री/सांसद/ विधायक की वापसी की प्रतीक्षा करेंगे।

12. सांसदों/विधान मंडल के सदस्यों के लिए –

निर्वाचन की अधिसूचना की निर्गत की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक संसद सदस्यों या विधान मंडल सदस्यों द्वारा किसी नगरपालिका क्षेत्र में, जहाँ कि चुनाव होने वाले हों, स्वेच्छानुदान राशि, जनसम्पर्क निधि से **कोई अनुदान स्वीकृत नहीं** किया जाना चाहिए और **न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिए**। इस अवधि के दौरान किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन भी नहीं किया जाना चाहिए।

13. शासन और संस्थाओं के वाहनों आदि के उपयोग पर प्रतिबंध –

(i) सरकार सहित सार्वजनिक उपक्रमों/प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मंडियों या सरकार से अनुदान अथवा अन्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के वाहनों, संसाधनों (जैसे कि टेलीफोन, फैक्स) अथवा कर्मचारियों का उपयोग किसी उम्मीदवार के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे **वाहनों आदि को उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक, मंत्रिगण, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, नगरपालिका के पदधारकों या उम्मीदवारों को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए**।

(ii) निर्वाचन के दौरान चुनाव कार्य अथवा **चुनाव संबंधी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा**।

(iii) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्रियों के सहित किसी भी व्यक्ति के द्वारा चुनाव कार्य अथवा **चुनाव संबंधी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर भुगतान के आधार पर भी, पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परंतु उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा सरकारी वाहन का उपयोग सरकारी कार्य के दौरान किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी कार्यो के साथ चुनाव कार्य जोड़ा नहीं जायेगा**।

(iv) ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जबकि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्री जिला मुख्यालय या क्षेत्रीय स्तर के अन्य कार्यालयों तक सरकारी कार्यो के सिलसिले में दौरे पर जाने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग करते हों और तत्पश्चात् चुनाव कार्य हेतु स्थानीय दौरा किसी निजी वाहन के माध्यम से करते हों, तो पूरे दौरा का चुनाव कार्य हेतु सम्पन्न किया गया माना जाएगा। अर्थात किसी भी परिस्थिति में सरकारी यात्रा तथा चुनाव कार्य हेतु यात्रा एक ही साथ करने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

14. एकल उपयोग प्लास्टिक (Single used Plastic) के उपयोग पर प्रतिबंध :–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 की अधिसूचना संख्या G.S.R. 571 (E) दिनांक 12.08.2022 द्वारा **चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर संपूर्ण भारतवर्ष में दिनांक 01.09.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।** तद्आलोक में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा निर्गत सूचना के आलोक में नगरपालिका निर्वाचन में **चिहिन्त एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।**

भाग–3

1. सरकारी विभागों एवं कर्मियों के लिए –

(1) अधिसूचना की तिथि से मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने तक **राज्य सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति/सहमति प्राप्त किये बिना ऐसा कोई आदेश पारित न किया जाए, जिससे चुनाव के सम्यक् संचालन में व्यवधान उपस्थित हो या चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता प्रभावित हो, जैसे कि कर्मचारियों के स्थानान्तरण या किसी क्षेत्र /वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा अथवा छूट देना या इस हेतु किसी नयी योजना या कार्य के लिए स्वीकृति जारी करना।**

(2) सरकारी कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।

(3) अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लेकर चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक यदि कोई मंत्री नगरपालिका क्षेत्रों में निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर लें तो किसी सरकारी कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमंत्रण–पत्र प्राप्त हो तो उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार देना चाहिए।

(4) किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन और समय पर एक से अधिक उम्मीदवार एक ही जगह पर सभा करना चाहतो हों तो उस उम्मीदवार को अनुमति दी जानी चाहिए जिसने सबसे पहले आवेदन–पत्र दिया है।

(5) विश्राम गृहों या अन्य स्थानों में शासकीय आवास सुविधा का उपभोग सभी उम्मीदवारों को समान शर्त्तो पर करने दिया जाना चाहिए। परंतु किसी भी उम्मीदवार को ऐसा भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(क) सरकारी यात्रा के क्रम में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्रियों, लोक उपक्रमों के अध्यक्ष/उपाध्यक्षों के लए परिसदन/निरीक्षण भवनों आदि में ठहरने के लिए आरक्षण में राजनैतिक दलों से उनकी सम्बद्धता के आधार पर कोई भेद–भाव नहीं किया जायेगा।

(ख) विभिन्न राजनैतिक दलों के पदधारकों/विधायकों/नगरपालिका के निर्वाचन से संबंधित उम्मीदवारों को निरीक्षण भवन आदि में ठहरने के लिए आरक्षण संबंधी अधियाचना प्राप्त होने पर समदर्शिता का भाव रखते हुए तथा राजनीतिक दलों से उनकी संबद्धता के

आधार पर बिना किसी भेदभाव किये कमरे की उपलब्धता के आधार पर "First c first serve" की नीति के आधार पर आवंटन की कार्रवाई की जाएगी **परंतु किसी विशेष में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व ऐसे आवंटन पर मतदान अथवा पुनर्ममतदान होने तक रोक रहेगी।**

(ग) किसी भी परिस्थिति में केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्री/लोक उपक्रमों के अध्यक्ष/उपाध्यक्षों/सांसदों/विधायकों/राजनैतिक दलों के पदधारकों को **परिसदन/निरीक्षण भवन आदि का उपयोग निर्वाचन संबंधी आम सभा का आयोजन/चुनाव प्रचार/अभियान हेतु करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

(6) साधारणतः चुनाव के समय जो भी आम सभा आयोजित की जाए उसे चुनाव संबंधी सभा मानी जानी चाहिए और उस पर कोई सरकारी व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

2. नगरपालिका क्षेत्रों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए –

(i) **ऐसी सभी योजनाएँ, जो पहले से ही स्वीकृत हैं और जिनपर कार्य प्रगति में है, का कार्यान्वयन होता रहेगा। जो योजनाएँ स्वीकृत हैं परंतु कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, के कार्यान्वयन पर रोक रहेगा।**

(ii) **इसी प्रकार ऐसी सभी योजनाएँ जो पहले से स्वीकृत है तथा जिनका कार्यान्वयन भी शुरू हो गया था किन्तु निधि के अभाव में योजना अपूर्ण है और इसके लिए अब निधि उपलब्ध हो गयी है, उस सभी योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जा सकता है।**

(iii) **केन्द्र सरकार की योजनाओं, जिसके क्रियान्वयन में नगरपालिका की भूमिका नहीं है, के कार्यान्वयन में कोई पाबंदी नहीं रहेगी।**

(iv) राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्य के मुख्य पथों पर कार्य कराने में कोई पाबंदी नहीं रहेगी।

(v) **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), जिनमें नगरपालिका के प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका हो, के कार्यान्वयन पर रोक रहेगी।**

(vi) **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि से स्वीकृत वित्तीय सहायता के आधार पर योजनाओं की स्वीकृति तथा उनके कार्यान्वयन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी।**

(vii) **राज्य सरकार की योजनाओं, जिसके क्रियान्वयन में नगरपालिका की भूमिका नहीं है, के कार्यान्वयन में कोई पाबंदी नहीं रहेगी।**

(viii) आपात योजनाएँ यथा बाढ़ निरोधक योजनाओं, सुखा अथवा अभावग्रस्त क्षेत्र से संबंधित योजनाओं आदि को नगरपालिका निर्वाचन की अवधि में प्रारंभ करने में कोई पाबंदी नहीं रहेगी।

(ix) सांसद एवं विधायक निधि से नये योजनाओं की स्वीकृति एवं उनके कार्यान्वयन पर पाबंदी रहेगी। किन्तु नगरपालिका की योजनाएं जो पूर्व से स्वीकृत है और जिनका क्रियान्वयन शुरू हो गया है, उनपर रोक नहीं होगी। पूर्व से स्वीकृत योजना एवं जिस पर कार्य प्रारंभ अब तक नहीं किया गया हो उन योजनाओं का कार्य प्रारम्भ करने पर पूर्णतः रोक रहेगा।

(x) सरकारी कार्यालयों की आधुनिकीकरण (जिसमें कम्प्यूटर तथा अन्य मॉडर्न गजट (Gadget) आदि चालू करना शामिल है) आदि पर कोई पाबंदी नहीं रहेगा।

(xi) विकास योजनाओं से संबंधित निविदा आमंत्रित करने या उसके निस्तारण पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी।

(xii) पूर्व से स्वीकृत एवं क्रियान्वित हो रही योजनाओं को छोड़कर, ऐसी स्थानीय योजनाएँ जिनका कार्यान्वयन नगरपालिका द्वारा किया जाता है, और जो ऊपर (i) से (xi) की उप कंडिकाओं में शामिल नहीं है, उन पर पाबंदी रहेगी।

(xiii) किसी भी परिस्थिति में किसी योजना को प्रारम्भ करने हेतु **किसी प्रकार का अनुष्ठानिक कार्य, जैसे शिलान्यास आदि नहीं किया जाएगा;** योजना का कार्यान्वयन संबंधित विभागों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा सामान्य रूप से किया जाएगा।

(xiv) सरकार द्वारा उपर्युक्त दिशा–निर्देशों के अधीन यदि किसी योजना की स्वीकृति दी जाती है तो उसका **संसूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी।**

(xv) किसी भी उम्मीदवार द्वारा राज्य में विकास से संबंधित कार्यकलापों की प्रगति को दर्शाते हुए किसी प्रकार **का इश्तहार या विज्ञापनों का प्रसारण समाचार पत्रों या रेडियो/टेलिविजन आदि** के माध्यम से नहीं किया जायेगा।

(xvi) **निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होते ही नगरपालिका के प्रभारी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्त्तमान पार्षदों एवं मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद द्वारा अपने निर्वाचन की संभावना को लाभ पहुँचाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की जाए। अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से नई नगरपालिका के गठित होने तक नगरपालिका की किसी बैठक में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित कोई प्रस्ताव न तो पेश किए जाएं, न ही पारित किए जाएं। साथ ही नए व्यय की कोई स्वीकृति नहीं दी जाए। अगर कोई नगरपालिका आयोग के निदेशों के विपरीत आचरण करें, तो इसे कदाचार माना जाएग एवं सभी संबंधित के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।**

टिप्पणी– विकास योजनाओं से तात्पर्य राज्य के विकास की सामान्य योजनाओं से है, न कि किसी समुदाय विशेष से संबंधित विकास योजनाओं से। शहरी क्षेत्र में सामान्य योजनाओं से मतलब सड़क, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, महिला एवं बाल कल्याण इत्यादि से संबंधित योजनाओं से है। **किसी विशेष समुदाय के लिए छात्रावास, विद्यालय भवन निर्माण या अन्य प्रकार की कल्याणकारी योजनाएँ सामान्य विकास योजनाओं के तहत नहीं आयेंगी तथा निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन, शिलान्यास अथवा उद्घाटन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।**

3. सरकारी सेवकों के स्थानांतरण/पदस्थापन –

(1) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), अनुमंडल पदाधिकारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा निर्वाचन कार्य में संलग्न अन्य पदाधिकारी के स्थानांतरण पर पाबंदी रहेगी।

(2) निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण पर भी रोक रहेगी।

(3) निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त किये जाने योग्य पदाधिकारियों/कर्मचारियों (शिक्षक सहित) आदि के पदस्थापन/स्थानांतरण पर रोक रहेगी।

(4) मेडिकल/पारा मेडिकल तथा आपातकालीन सेवाओं से जुड़े पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पदस्थापन/स्थानांतरण को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।

टिप्पणी– यदि प्रशासनिक दृष्टि से चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों/कर्मचारियों का पदस्थापन/स्थानांतरण आवश्यक हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी पूर्वानुमति राज्य निर्वाचन आयोग से अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

4. **यदि कोई मंत्री/सांसद/विधायक/लोक उपक्रम के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष आदि द्वारा आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी विभाग के समीक्षात्मक बैठक या कार्यक्रम में भाग लिया जाता है तो उस बैठक/कार्यक्रम में निम्नलिखित शर्त्तों का पालन किया जायेगा :–**

(i) कार्यक्रम/बैठक में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 संबंधी कोई चर्चा नहीं की जाएगी।

(ii) नगरपालिका निर्वाचन से संबंधित संभावित प्रत्याशियों के पक्ष–विपक्ष में कोई वक्तव्य या अन्य घोषणा/कार्य नहीं किए जाएगें।

(iii) नगरपालिका के जनप्रतिनिधियों को उक्त कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

(iv) भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर कोविड–19 के संदर्भ में दिये गये दिशा–निदेश का अनुपालन किया जाए।

(v) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा उक्त कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराकर सी. डी. सुरक्षित रख लिया जाएगा।

भाग–4

नगरपालिकाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए

1. नगरपालिका कर्मचारियों को चुनाव के दौरान अपना कार्य पूर्ण निष्पक्षता से करना चाहिए और ऐसा कोई आचरण और व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे यह आभास हो कि वे किसी उम्मीदवार की मदद कर रहें हैं।

2. निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन समाप्त होने तक :-

(1) नगरपालिका के अधीन कोई नियुक्ति या स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए,

(2) नगरपालिका निधि से किसी भी नए भवन का निर्माण या मौजूदा भवन में संवर्धन या परिवर्तन की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए,

(3) नगरपालिका क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृत्ति के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जानी चाहिए;

(4) नगरपालिका निधि से किसी नई योजना या कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए। वर्तमान सुविधाओं के विस्तार या उन्नयन का कोई कार्य (जैसे कि किसी सड़क को चौड़ा करना या डामरीकृत (Betumen) करना या उसमें खडंजे बिछाना; नालियों को पक्का करना; नल जल योजना का विस्तार करना; नये हैंडपंप लगाना या नयी स्ट्रीट लाइट लगाना आदि) स्वीकृत या प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। पहले से स्वीकृत किसी स्थानीय योजना का कार्य जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ हो, प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए और किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए;

(5) किसी संगठन या संस्था को, किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता या अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए;

(6) नगरपालिका के खर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन या पैंपलेट जारी नहीं किया जाना चाहिए जिसमें नगरपालिका की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिससे किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने में सहायता मिलती हो;

3. किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर, जिसमें प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुँचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान नगरपालिका के किसी पदधारी (जैसे कि मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद आदि) के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और ऐसे दौरे में नगरपालिका के किसी कर्मचारी को उनके साथ नहीं रहना चाहिए।

नोट :– इस भाग में नगरपालिका से अभिप्राय, यथास्थिति नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत से है।

भाग-5

वैधानिक उपबन्ध

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई करने हेतु उपलब्ध वैधानिक उपबन्ध

1. धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा फैलाना/ बढ़ाना।	(i) बि.न.पा.अ., 2007 की धारा 454 तथा 481 (ii) 153 ए भा.द.सं. (iii) भा.द.सं. की धारा 505
2. अन्य अभ्यर्थियों की आलोचना करते समय उनकी नीतियों/ कार्यक्रमों की ही आलोचना करनी है। ऐसे पहलुओं पर आलोचना न की जाय जिसका संबंध उनके सार्वजनिक जीवन से हो एवं उसकी सत्यता स्थापित न हो।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (जी)
3. निर्वाचन प्रचार के लिए मस्जिदों, गिरिजाघरों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों का प्रचार मंच के रूप में करना एवं जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई देना।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 ए (2)
4. मत प्राप्त करने हेतु भ्रष्ट आचरण अपनाकर मतदाताओं को रिश्वत देना – मतदाताओं को अभित्रस्त करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत-याचना करना एवं मतदान समाप्त होने के 48 घंटा के अन्दर सार्वजनिक सभा करना, मतदान केन्द्र तक अपने सवारी से मतदाता को ले जाना।	(i) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171(ई) (iii) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171(एफ) (iv) बि.न.पा.अ., 2007 की धारा 455 एवं 460
5. किसी भी व्यक्ति के शान्तिपूर्ण और विघ्न रहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार में दखल देने हेतु उनके घरों के सामने प्रदर्शन आयोजित करना एवं धरना देना।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143
6. किसी भी अभ्यर्थी को ध्वजदंड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएँ चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी व्यक्ति की भूमि,भवन,अहाते, दीवार आदि का उपयोग करने की अनुज्ञा अपने अनुयायियों को नहीं देना चाहिए।	(i) धारा-3, सम्पत्ति विरूपण निरोध अधिनियम, 1987
7. किसी भी अभ्यर्थी अथवा उनके समर्थकों द्वारा अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित जुलूस/ सभा में बाधा उत्पन्न करना	बि.न.पा.अ., 2007 की धारा 456

या गड़बड़ी करना वर्जित है। किसी अभ्यर्थी का जुलूस उस स्थान से नहीं जाय जहाँ दूसरे अभ्यर्थी के द्वारा सभा की जा रही हो; एक अभ्यर्थी के पोस्टर को दूसरे अभ्यर्थी के कार्यकत्ताओं द्वारा नहीं हटाया जाएगा।

यदि गड़बड़ी करने वाला व्यक्ति अपना नाम पता बताने से इन्कार करे या गलत पता बताए या पुलिस पदाधिकारी को इसका संदेह हो कि नाम पता गलत बता रहा है, तो उसे बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकते हैं।

सभायें :-

1. अगर किसी स्थान पर पूर्व से निर्वन्धात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो तो वैसे स्थान पर किसी अभ्यर्थी की प्रस्तावित सभा या जुलूस के लिए पूर्वानुमति लेनी है। साथ ही अनुमति मिलने पर समय एवं स्थान की सूचना स्थानीय पुलिस पदाधिकारी को ऐसे आयोजन के पूर्व देनी है। — भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188/ 143

2. बिना अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त किये किसी भी अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रस्तावित सभा एवं जुलूस में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम का कोई उल्लंघन करता है तो स.अ.नि. या उसके ऊपर कोई पुलिस पदाधिकारी उसे जब्त कर सकता है। — बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग और वादन नियंत्रण अधिनियम, 1955 की धारा 9

   चुनाव के दिन मतदान केन्द्र के ईर्द-गिर्द लाउडस्पीकर, मेगाफोन इत्यादि का उपयोग निषेध है।

जुलूस :-

1. किसी भी निर्बन्धात्मक आदेश के अध्यधीन स्थान या मार्ग से जुलूस निकालने के पूर्व किसी भी अभ्यर्थी को पूर्व में ही अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करना है। अनुज्ञा प्राप्त होने पर जुलुस निकालने के पूर्व इसके संबंध में पूरी सूचना पुलिस को देना है। — 147/ 148/ 188/ 143 भारतीय दण्ड संहिता
   32 पुलिस एक्ट

2. यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक ही मार्ग अथवा उसके किसी भाग पर लगभग एक ही समय में जुलूस निकालना चाहे, तो संयोजक आपस में निर्णय कर टकराव रोकने के उपायों का विनिश्चय कर लेंगे तथा सभी पक्षकार यथाशीघ स्थानीय पुलिस से सम्पर्क करेंगे। — 30-32 पुलिस एक्ट

3. ऐसे किसी भी जुलूस में कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई चीज लेकर नहीं चलेगा जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सकता है। — 32 पुलिस एक्ट

मतदान दिवस –

1. मतदान के दिन कोई भी शान्तिपूर्ण मतदान में व्यवधान नहीं पहुँचायेगा।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341/ 350/ 171(एफ)
अभ्यर्थी निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे अधिकारियों को पूर्ण सहयोग देंगे।	बि.न.पा.अ. 2007 की धारा 459
2. सभी अभ्यर्थी अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त पहचान पत्र या बिल्ला देंगे, मतदाताओं को दी गयी परची आदि सफेद कागज पर देंगे जिसपर कोई प्रतीक चिह्न या अभ्यर्थी का नाम नहीं हो; मतदान के 24 घंटा पूर्व से ही किसी भी व्यक्ति को शराब पेश नहीं किया जायेगा या वितरित नहीं किया जायेगा।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 290
3. मतदान के दिन वाहनों को अवैध रूप से किराए पर लेना या उपयोग करना वर्जित है।	बि.न.पा.अ. 2007 की धारा 464

अन्यान्य –

1. सरकारी वाहन, मशीनरी एवं कार्मिकों का किसी के हित को बढ़ावा देने के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (सी)
2. सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान में चुनाव सभा आयोजित करने में किसी का एकाधिकार नहीं होगा, ऐसे स्थानों का उपयोग, सभी द्वारा समान विहित शर्त्तों पर किया जायेगा।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (सी)
3. विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी बंगलों का उपयोग निष्पक्ष ढ़ंग से सभी द्वारा किया जायेगा एवं ऐसे सरकारी आवासों एवं परिसरों का उपयोग चुनाव कार्यालय या चुनाव प्रचार अथवा चुनाव सभा करने के लिए वर्जित है।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (एफ)
4. निर्वाचन अवधि में प्रचार निष्पक्ष ढ़ंग से करने के लिए सरकारी खर्च से समाचार पत्रों में कोई ऐसा समाचार या विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा जिसमें किसी की उपलब्धियाँ दिखाकर उन्हें लाभ पहुँचाया जा सके।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (एफ)
5. मंत्री एवं अन्य अधिकारी किसी भी रूप में कोई वित्तीय मंजूरी या वचन की घोषणा नहीं करेंगे। किसी प्रकार की परियोजना अथवा स्कीम की आधारशीला नहीं रखेंगे, सड़क निर्माण, पीने का पानी की सुविधा आदि की घोषणा नहीं करेंगे; सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं की जायेगी।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (एफ)

भाग–6

निर्वाचन अपराध

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 454 से 472–

(1) **धारा 454 – निर्वाचन के सिलसिले में वर्गो के बीच शत्रुता बढ़ाना** – कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन के संबंध में भारत के नागरिकों को विभिन्न वर्गो के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ाता है या बढ़ाने का प्रयास करता है, तो वह तीन वर्षों तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) **धारा 455 – मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटों की अवधि के दौरान आम सभाओं पर प्रतिबंध –**

(i) कोई भी व्यक्ति -

(क) निर्वाचन के संबंध में किसी चुनाव संबंधी जुलूस या आम सभा संबंधी संयोजन, धारण, उपस्थिति, आयोजन या संबोधन नहीं करेगा;

(ख) सिनेमाटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के जरिये किसी निर्वाचन मामले को जनता को नहीं दर्शायेगा; या

(ग) किसी रंगमंच या संगीत सभा का प्रदर्शन या किसी अन्य मनोरंजन या मन बहलाने वाले कार्यक्रमों के आयोजन से जनता के सदस्यों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किसी मतदान क्षेत्र में उस मतदान केन्द्र पर किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के भीतर किसी चुनाव विषयक मामले का प्रचार नहीं करेगा।

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति जो उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करे दो वर्षों तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(iii) इस धारा में, अभिव्यक्ति ``चुनाव मामले" से अभिप्रेत है निर्वाचन के परिणाम को प्रभावित करना या प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रगणनित कोई मामला।

(3) **धारा 456 – निर्वाचन सभा में बाधा –**

(1) कोई व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक सभा में, जिस पर यह धारा लागू होती है, जिस प्रयोजन के लिए सभा बुलाई गई है, उसके कार्य संव्यवहार को निवारित करने के लिए अव्यवस्था उत्पन्न करता है या किसी अन्य को इसके लिए भड़काता है, छः माह के कारावास या दो हजार रुपये के जुर्माने से; या दोनों से, दण्डनीय होगा।

खण्ड (1) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यह धारा सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने की तिथि और निर्वाचन की तिथि के मध्य किसी निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित राजनीतिक प्रकृति की किसी आम सभा पर लागू होती है।

(3) यदि कोई पुलिस अधिकारी खंड (1) के अंतर्गत अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति पर पर्याप्त रुप से संदेह करता है, यदि सभा के सभापति द्वारा ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाये, तो वह उस व्यक्ति से अपना नाम और पता तुरन्त घोषित करने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि वह व्यक्ति अपने नाम और पते घोषित करने से इंकार करता है या नहीं करता है, या यदि पुलिस अधिकारी उस पर गलत नाम या पता देने के लिए पर्याप्त रुप से संदेह करता है, तो पुलिस अध्किारी वारन्ट के बिना उसे गिरफ्तार कर सकता है।

(4) **धारा 457– पुस्तिकाओं, पोस्टरों, इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबंध –** (1) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा या मुद्रित या प्रकाशित नहीं करायेगा, जिसके मुख्य भाग पर मुद्रक और उसके प्रकाशक के नाम और पते नहीं हो

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को तब तक मुद्रित नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करायेगा –

(क) जब तक कि उसके प्रकाशक की पहचान के लिए घोषणा, उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो ऐसे व्यक्तियों द्वारा अभिप्रमाणित, जो उसे व्यक्तिगत रुप से जानते हैं, डुप्लीकेट में मुद्रक को उसके द्वारा परिदत नहीं की जाये, और

(ख) जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात युक्तियुक्त समय के भीतर, घोषणा की एक प्रति, दस्तावेज की एक प्रति के साथ मुद्रक द्वारा नहीं भेजी जाए-

(i) जब यह राज्य की राजधानी में मुद्रित हो तो राज्य निर्वाचन आयोग को, और

(ii) किसी अन्य मामले में, उस जिले के जिला दंडाधिकारी को जिसमें यह मुद्रित किया गया है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(क) हाथ द्वारा इसकी प्रतियाँ करने के अलावा दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियाँ बनाने की किसी भी प्रक्रिया को मुद्रण माना जायेगा और तद्नुसार अभिव्यक्ति `मुद्रक` की व्याख्या की जायेगी; और

(ख) `निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर" से अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को संप्रवर्तित करने या प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन से संबंध रखने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, लेकिन इसमें निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं के दैनिक निर्देशें या निर्वाचन सभा की तिथि, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को घोषित करने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर शामिल नही होंगे।

(4) कोई व्यक्ति, जो खंड (1) या खंड (2) के अधीन किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, छः माह के कारावास या दो हजार रुपये के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(5) **धारा 458– मतदान की गोपनीयता बनाए रखना –**

(1) प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्त्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों की गणना उसके अभिलेखन करने के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतों की गोपनीयता बनाये रखेगा, और बनाए रखने में सहायता करेगा और किसी व्यक्ति को (किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकृत्य किसी प्रयोजन के अलावा) गणना से संबंधित कोई सूचना संसूचित नहीं करेगा जिससे इसकी गोपनीयता भंग होगी।

(2) कोई व्यक्ति जो खंड (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तीन माह के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(6) **धारा 459– निर्वाचनों में अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य नहीं करेगें या मतदान को प्रभावित नहीं करेंगें–**

(1) कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचन के संबंध में किसी कर्तव्य के पालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या निर्वाची पदाधिकारी, या सहायक निर्वाची पदाधिकारी या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान अधिकारी, या निर्वाची पदाधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी या लिपिक है, निर्वाचन के प्रबंध या संचालन में किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कार्य (मत देने के अलावा) नहीं करेगा।

(2) यथा उपर्युक्त कोई भी व्यक्ति, और पुलिस बल का कोई भी सदस्य निम्नलिखित प्रयास नहीं करेगा-

(क) निर्वाचन में किसी व्यक्ति को उसका मत देने के लिए प्रेरित करना; या

(ख) निर्वाचन में किसी व्यक्ति को उसका मत न देने के लिए प्रेरित करना; या

(ग) किसी निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मतदान पर किसी तरीके से असर डालना।

(3) कोई व्यक्ति जो खंड (1) ये खंड (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, छः माह के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) खडं (3) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(7) धारा 460 – मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक प्रचार का प्रतिषेध –

(1) कोई व्यक्ति ऐसी तिथि या तिथियों को, जिसमें किसी मतदान केन्द्र पर मतदान होता हो, मतदान केन्द्र के भीतर या किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में, जो मतदान केंद्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर है, निम्नलिखित में से किसी कार्य को नहीं करेगा, यथा

(क) मतों के लिए प्रचार; या

(ख) किसी निर्वाचक से मत की याचना करना; या

(ग) किसी अभ्यर्थी विशेष को मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना; या

(घ) निर्वाचन में मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना; या

(ङ) निर्वाचन से संबंधित किसी सूचना या संकेत (शासकीय सूचना के अलावा) को प्रदर्शित करना।

(2) कोई व्यक्ति जो खंड (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह स्थानीय अधिकारिता वाले किसी दण्डाधिकारी द्वारा पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(3) इस उप धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(8) धारा 461– मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति –

(1) कोई व्यक्ति, ऐसी तिथि या तिथियों को, जिसमें किसी मतदान केन्द्र मतदान पर होता है-

(क) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर, या उसके पड़ोस में किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में, मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन करने के लिए मेगाफोन या लाउडस्पीकर जैसा उपकरण का न तो उपयोग करेगा या न चलायेगा या

(ख) मतदान केंद्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर, या उसके पड़ोस में किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में विच्छृंखल तरीके से नहीं चिल्लायेगा या अन्यथा कार्य नहीं करेगा, जिससे कि मतदान के लिए मतदान केंद्र जाने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या जिससे मतदान केन्द्र के कर्त्तव्य पर अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के कार्य में हस्तक्षेप हो,

(2) कोई व्यक्ति, जो खंड (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उसके लिए जानबूझकर सहायता करता है या दुष्प्रेरण करता है, तीन माह तक के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) यदि पीठासीन अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति इस धारा के अतंगर्त दण्डनीय अपराध कर रहा है यह कर चुका है, तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित कर सकता है, और उसके बाद पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा।

(4) कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसा कोई कदम उठा सकता है, और बल का प्रयोग कर सकता है, जो उप धारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन को रोकने के लिए युक्तियुक्त रुप से आवश्यक हो, और इस उल्लंघन में प्रयुक्त उपकरण को जब्त कर सकता है।

(9) **धारा 462– मतदान केंद्र पर अवचार के लिए शास्ति–**

(1) कोई व्यक्ति जो मतदान के लिए नियत समय के दौरान किसी मतदान केंद्र में, पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों का पालन नहीं करता है या स्वयं अवचार करता है, तो उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा या कर्तव्य पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या उस पीठासीन अधिकारी द्वारा इस निमित अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकेगा।

(2) खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जायेगा, जिससे कि किसी निर्वाचक को, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उसे केन्द्र में मत देने के अवसर नही प्राप्त हो सके।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जिसे मतदान केन्द्र से हटा दिया गया हो, पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करता है, तीन माह के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) खंड (3) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(10) **धारा 463 – मतदान की प्रक्रिया के पालन में विफलता के लिए शास्ति** – यदि कोई निर्वाचक, जिसे मत पत्र जारी किया गया हो, मतदान के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करने से इंकार करता है तो, उसे जारी मत पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

(11) **धारा 464 – निर्वाचनों में वाहनों को अवैध रुप से किराये पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति–** यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में धारा 141 के खण्ड (5) में यथविनिर्दिष्ट किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी हो, तो वह तीन माह तक के कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(12) **धारा 465 – निर्वाचनों के संबंध में पदीय कर्तव्य का भंग –**

(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसपर यह धारा लागू होती हो, अपना पदीय कर्त्तव्य-भंग करते हुए बिना युक्तियुक्त कारण के किसी कार्य या लोप का दोषी हो तो वह पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(1-क) खंड (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी कार्य या लोप के बाबत क्षति के लिए ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(3) यह धारा जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (पंचायत), निर्वाची पदाधिकारियों, सहायक निर्वाची पदाधिकारियो, पीठासीन पदाधिकारियों, मतदान पदाधिकारियों एवं नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने या अभ्यर्थिता की वापसी या मतदान लेने अथवा मतगणना करने हेतु नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति पर लागू होगी और अभिव्यक्ति "पदीय कर्त्तव्य" की व्याख्या इस धारा के प्रयोजनार्थ तदनुसार की जायेगी, लेकिन अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत निर्धारित कर्त्तव्यों से अन्यथा अधिरोपित कर्त्तव्य इसमें शामिल नहीं होंगे।

(13) **धारा 466 – निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रुप में कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए शास्ति** – यदि सरकारी सेवारत कोई व्यक्ति निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रुप में कार्य करता है, तो वह तीन माह तक के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(14) **धारा 467 – मतदान केन्द्र में उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध –**

(1) मतदान केन्द्र में शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी और नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र

में कर्त्तव्य पर है, मतदान के दिन मतदान केन्द्र के पास आयुध अधिनियम 1959 (1959 का सं 54) में यथा परिभाषित, किसी प्रकार के सशस्त्र लेकर नहीं जायेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति खंड (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह दो वर्षो तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का सं. 54) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध का सिद्वदोष हो, उसके कब्जे में उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित शस्त्र पाया गया हो तो जब्त कर लिया जाएगा और उन शस्त्रों के लिए प्रदत्त अनुज्ञप्ति को उस अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत प्रतिसंहरित माना जायेगा।

(4) खंड (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(15) धारा 468 – मतदान केन्द्र से मत पत्रों को हटाना अपराध होगा–

(1) कोई व्यक्ति, जो किसी निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र को अनधिकृत्य रुप से लेता है या लेने का प्रयास करता है, या किसी ऐसे कार्य को करने में जानबुझ कर सहायता करता है या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति खंड (1) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह अधिकारी उस व्यक्ति के मतदान केन्द्र छोड़ने से पहले गिरफ्तार कर सकता है या उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आरक्षी अधिकारी को निदेश दे सकता है और उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या किसी आरक्षी अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगाः

परन्तु जब किसी महिला की तलाशी लेना आवश्यक हो, तो मर्यादा का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य महिला द्वारा तलाशी ली जायेगी।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी पर पाये गये किसी मतपत्र को पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी को निरापद अभिरक्षा के लिए दिया जायेगा, या जब तलाशी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाये, तो उसे स्वयं अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) खंड (1) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(16) धारा 469 – मतदान केन्द्र कब्जा करने का अपराध–

(1) जो कोई मतदान केन्द्र कब्जा करने का अपराध करता है, उसे ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे तीन वर्षो तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से दण्डनीय होगा, और जहाँ ऐसा अपराध सरकारी सेवारत व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वह ऐसे कारावास से, जो तीन वर्षो से कम नहीं होगा लेकिन जिसे पाँच वर्षो तक बढाया जा सकेगा, और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण – (1) इस खंड (XXX) के प्रयोजनों के लिए `मतदान केन्द्र कब्जा" में अन्य चीजों के साथ निम्नलिखित सभी या कोई भी गतिविधियाँ शामिल है, अर्थात्:-

(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का कब्जा करना, मतपत्रों या मतदान मशीनों को मतदान प्राधिकारियों से अभ्यर्पित कराना और कोई ऐसा अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के सुव्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है,

(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का कब्जा करना; और केवल अपने समर्थकों को मताधिकार के प्रयोग करने की अनुमति देना और दूसरे को मत देने से रोकना।

(ग) किसी निर्वाचक को अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान जाने से रोकना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से उत्पीड़ित करना या अभित्रास या धमकी देना;

(घ) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतगणना स्थान का कब्जा करना, मतपत्रों या मतदान मशीनों को गणना प्राधिकारियों से अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य जो व्यवस्थित रुप से गणना करने से प्रभावित करें;

(ङ) अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए सरकारी सेवारत किसी व्यक्ति द्वारा पूर्वोक्त कार्यो में से सभी या कोई कार्य करना, या करने में सहायता या मौन अनुमति देना।

(2) खंड (1) के अंर्तगत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(17) **धारा 470 – अन्य अपराध और उसके लिए शास्तियां** – (1) कोई व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा, यदि किसी निर्वाचन में वह-

(क) किसी नामनिर्देशन पत्र को कपटपूर्वक विरुपित करता है या कपटपूर्वक नष्ट करता है; या

(ख) निर्वाची अधिकारी के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन लगायी गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरुपित, नष्ट या हटाता है; या

(ग) डाक मत-पत्र द्वारा मत डालने के संबंध में प्रयुक्त शासकीय लिफाफे या पहचान की किसी घोषणा या किसी मत पत्र पर शासकीय चिन्ह या किसी मत पत्र को कपटपूर्वक विरुपित करता है या कपटपूर्वक नष्ट करता है; या

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को किसी मतपत्र की आपूर्ति करता है या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करता है या उसके कब्जे में कोई मतपत्र हो या

(ङ) मतपत्र जिसे डालने के लिए वह विधितः अधिकृत्य है से भिन्न किसी वस्तु को किसी मतपेटी में कपटपूर्वक डालता हो; या

(च) आवश्यक प्राधिकार के बिना, निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब प्रयुक्त किसी मतपेटी या मतपत्रों के नष्ट करता हो, ले जाता हो, खोल देता हो या अन्यथा हस्तक्षेप करता हो; या

(छ) उपर्युक्त किन्हीं कार्यो को करने का कपटपूर्वक या यथास्थिति आवश्यक प्राधिकार के बिना, प्रयास करता हो या किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जानबुझ कर सहायता करता हो या उत्प्रेरित करता हो।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन विषयक अपराध का दोषी कोई व्यक्ति -

(क) यदि वह निर्वाची पदाधिकारी या सहायक निर्वाची पदाधिकारी या मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी हो या निर्वाचन के संबंध में शासकीय कर्त्तव्य पर नियोजित कोई अन्य अधिकारी या लिपिक हो, तो दो वर्षो तक के कारावास से या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा;

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति हो तो छः माह तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को शासकीय कर्त्तव्य पर माना जायेगा, यदि उसका कर्त्तव्य किसी निर्वाचन के या निर्वाचन के अंग के संचालन में भाग लेना होगा और इसमें मतगणना भी शामिल है या निर्वाचन के पश्चात् मतपत्रों और ऐसे निर्वाचन से जुड़े अन्य कागजात के लिए जिम्मेवार होगा। अभिव्यक्ति `` शासकीय कर्त्तव्य" में इस अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत अन्यथा अधिरोपित कोई कर्त्तव्य शामिल नहीं होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

भाग– 7

अभ्यर्थियों/प्रत्यशियों और सरकार के मार्गदर्शन हेतु ''क्या करें'' व ''क्या न करें''।

क्या करें –

1. पहले से चल रहे योजना जारी रख सकेंगे ।
2. अनिश्चय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन/ अनुमोदन प्राप्त करें।
3. बाढ, सूखा, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिये राहत व पुनर्वास संबंधी उपाय प्रारम्भ किए जाए और जारी रखे जायें।
4. गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को दी जा रही चिकित्सीय या नगद सुविधाएँ उचित अनुमति से जारी रखी जा सकती हैं।
5. निर्वाचन सभाओं के आयोजन के लिये सार्वजनिक स्थान, यथा मैदान निष्पक्ष रूप से सभी प्रत्याशियों के लिये उपलब्ध होने चाहिये।
6. विश्राम गृह, डाक बंगले और अन्य सरकारी आवास निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को न्याय संगत आधार पर उपलब्ध होने चाहिये।
7. अन्य प्रत्याशियों और अभ्यर्थियों की आलोचना उनकी नीतियॉ, कार्यक्रम, पुराने रिकार्ड और कार्य मात्र से संबंधित होनी चाहिये।
8. प्रत्येक व्यक्ति के शांन्तिपूर्ण और निर्विघ्न परिवारिक जीवन के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये।
9. प्रस्तावित सभाओं के संबंध में स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस को समय रहते सूचित किया जाय और सभी आवश्यक अनुमति भी प्राप्त की जाय।
10 यदि प्रस्तावित सभा के स्थान पर प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू हो, तो उनका पूरी तौर पर पालन किया जाय। यदि छूट आवश्यक हो तो उसके लिये आवेदन अवश्य किया जाय और समय रहते उसे प्राप्त कर लिया जाय।
11. प्रस्तावित सभा के लिये लाउडस्पीकरों या इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिये अनुमति अवश्य ली जाय।
12. बैठक में गडबडी या अन्य प्रकार से अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों से निपटने के लिये पुलिस की सहायता प्राप्त की जाय।
13. किसी भी जुलूस के शुरू होने का समय व स्थान, वह किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय और स्थान पर जुलूस समाप्त होगा , यह पहले से तय करके पुलिस प्राधिकारियों से अग्रिम रूप से अनुमति ले लेनी चाहिये।
14. जिन मोहल्लों से होकर जुलूस गुजरेगा वहॉ पर लागू निषेधात्मक आदेश का पता लगाया जाय और पूरी तरह से उनका अनुपालन किया जाय। साथ ही यातायात नियमों और प्रतिबंधों का भी अनुपालन किया जाय।
15. जुलूस का रास्ता ऐसा होना चाहिये जिससे यातायात में कोई बाधा न पड़े।
16. शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान के लिये निर्वाचन कर्मचारियों से हमेशा ही सहयोग किया जाय।
17. कार्यकर्त्ताओं द्वारा बिल्ले या पहचान पत्रों को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिये।
18. मतदाताओं की जारी पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज की होनी चाहिए, जिस पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक नहीं होना चाहिये।

19. मतदान के दिन अनुमति प्राप्त वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहन चलाने पर प्रतिबंधों का पूर्णरूपेण पालन किया जाय।
20. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्णरुपेण पालन किया जाय।
21. राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त वैध प्राधिकार पत्र वाले व्यक्ति ही किसी मतदान केन्द्र पर किसी भी समय प्रवेश कर सकते है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी उच्चपदासीन हो (मुख्य मंत्री, मंत्री, सांसद सदस्य या विधायक आदि) इसे मामले का अपवाद नहीं हो सकता, सिवाय कि वह संबंधित मतदान केन्द्र पर अपना मत देने के लिये जा सकेगा।
22. निर्वाचनों के संचालन में कोई शिकायत या समस्या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों/ जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)/ रिटर्निंग आफिसर/ जोनल/ सेक्टर मजिस्ट्रेट/ राज्य निर्वाचन आयोग की जानकारी में लायी जाय।
23. निर्वाचन के विभिन्न पहलूओं से संबंधित सभी मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदेश/ निदेश/ दिशा-निर्देश का अनुपालन निर्वाची पदाधिकारी/ जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) द्वारा किया जायेगा।

क्या ना करें –

1. सरकारी वाहनों या कार्मिकों या मशीनों/ उपकरणों का उपयोग चुनाव प्रचार संबंधी कार्यो में नहीं किया जायेगा। सरकारी वाहनों में (क) ट्रक (ख) लारी (ग) टैम्पो (घ) जीप (ङ) कार (च) आटो रिक्शा (छ) बस (ज) वायुयान (झ) हेलीकॉप्टर (ञ) पानी के जहाज (त) नाव (थ) जलस्पर्शी जहाज और निम्नलिखित से संबंध रखने वाले अन्य सभी वाहन शामिल है:-
   (i) केन्द्र सरकार
   (ii) राज्य सरकार
   (iii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम
   (iv) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम
   (v) स्थानीय निकाय
   (vi) नगरपालिका (यथा, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत)
   (vii) विपणन बोर्ड (चाहे वह किसी भी नाम से जाने जाय)
   (viii) स्वायत्तशासी जिला परिषदें अथवा
   (ix) कोई अन्य निकाय जिसमें सार्वजनिक निधि का एक भाग चाहे कितना भी क्यो न हो, निवेश किया गया हो।
2. सतारूढ दल/ सरकार की उपलब्धियों के बारे में सार्वजनिक कोष के व्यय पर कोई विज्ञापन जारी न करें।
3. किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा, आधारशिला रखना, नई सड़कों आदि के निर्माण कार्य का वचन देना आदि न करें।
4. सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रमों में कोई तदर्थ नियुक्तियॉ न करें।
5. कोई भी मंत्री किसी मतदान केन्द्र या गणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेगें, जब तक कि वह स्वयं प्रत्याशी न हो या सिर्फ मतदान करने वाले मतदाता न हो।
6. सरकारी कार्य के साथ चुनाव प्रचार/ चुनावी दौरा को कतई नहीं जोड़ा जायेगा।
7. वित्तीय अथवा अन्यथा कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाय।
8. निर्वाचकों के जातीय/ साम्प्रदायिक भावनाओं को उद्वेलित नहीं करना चाहिये।
9. ऐसा कोई कार्य न करें जिसे मौजूदा मतभेदों को बढावा मिले या आपस में घृणा पैदा हो अथवा विभिन्न जातियों, समुदायों अथवा धार्मिक या भाषायी समूहों में तनाव उत्पन्न हो।
10. दूसरे प्रत्याशियों के कार्यकत्ताओं की निजी जिन्दगी के किसी भी पहलू पर जिसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध न हो, टीका टिप्पणी की अनुमति न दी जाय।
11. असत्यापित आरोपों अथवा मिथ्या वर्णनों के आधार पर दूसरे प्रत्याशियों या उनके कार्यकत्ताओं पर टीका टिप्पणी न की जाय।

12. मंदिरों, मस्जिदों, गिरजा घरों, गुरूद्वारों या पूजा का कोई भी स्थान भाषण, पोस्टर, संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार हेतु इस्तेमाल न किये जायें।

13. कदाचार अथवा निर्वाचन अपराधों संबंधित गतिविधियॉ यथा घूसखोरी, मतदाता पर अनुचित प्रभाव, अभित्रास; प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में प्रचार, मतदान की समाप्ती के लिये नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि में सार्वजनिक सभाएँ करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाना और वहाँ से ले जाना निषिद्ध है।

14. व्यक्तियों के मकानों के सामने उनके विचारों और कार्यो के विरोध में प्रदर्शन करने या धरना देने का उपाय न करें।

15. किसी व्यक्ति विशेष एवं सरकारी/ सरकार के उपक्रमों की जमीन, इमारत, अहाते एवं दीवारों आदि को झण्डा/ बैनर लगाने, पोस्टर/ नोटिस चिपकाने नारे आदि लिखने के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है।

16. दूसरे अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों में व्यवधान पैदा न करें।

17. उन स्थानों के पास जहॉ किसी प्रत्यार्शी द्वारा सभायें आयोजित की जा रही हो, दूसरे प्रत्यार्शी जुलूस न निकाले।

18. जुलूस में भाग लेने वालों को ऐसी वस्तुएँ नहीं ले जानी चाहिये जिनका अस्त्र या शस्त्र के रूप में दुरूपयोग किया जा सकता हो।

19. दूसरे प्रत्याशियों द्वारा जारी पोस्टरों को हटाया या विरूपित नही किया जाय।

20. मतदान के दिन पहचान पर्चियों के वितरण के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले स्थानों पर या मतदान केन्द्रो के निकट, झण्डों प्रतीकों या अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जाय।

21. स्थाई अथवा गतिशील वाहनों पर लगे लाउडस्पीकरों का प्रयोग सुबह 6 बजे से पहले या रात को 10 बजे के बाद और संबंधित प्राधिकार की बिना पूर्व लिखित अनुमति के न किया जाय।

22. संबंधित प्राधिकार की पूर्व लिखित अनुमति लिये बिना लाउडस्पीकरों का प्रयोग सार्वजनिक सभाओं में भी नहीं किया जायगा। सामान्यतः ऐसी सभाओं/ जुलूसों की अनुमति रात 10.00 बजे बाद नहीं दी जायेगी और यह पुनः स्थानीय कानूनों, उस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के स्थानीय अवबोधनों, और अन्य संबंधित बातों जैसे मौसम की स्थिति, त्योहार के मौसम, परीक्षा समय आदि के अध्यधीन होगा।

23. निर्वाचन के दौरान एकल उपयोग प्लास्टिक (single used plastic) का उपयोग नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी; उपर्युक्त सूची मात्र उदाहरणात्मक है, विस्तृत तथा अंतिम नहीं है तथा उपर्युक्त विषय पर निर्गत किसी अन्य विस्तृत आदेशों/ निदेर्शो/ अनुदेशो को प्रतिस्थापित करने के निमित्त नहीं है।

भाग– 8

[1][भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध]

[2][अध्याय 1--- भ्रष्ट आचरण

123. भ्रष्ट आचरण---निम्नलिखित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भ्रष्ट आचरण समझे जाएंगे ---

[3][(1) " रिश्वत" अर्थात् :---

(अ) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को, वह चाहे जो कोई भी हो, किसी परितोषण का ऐसा दान, प्रस्थापना या वचन, जिसका प्रत्यक्षतः या परतः यह उद्देश्य हो कि---

(क) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या न होने के लिए या अभ्यर्थिता [4][वापस लेने या न लेने के लिए], अथवा

(ख) किसी निर्वाचक को किसी निर्वाचन में मत देने के या मत देने से विरत रहने के लिए, उत्प्रेरित किया जाए,

अथवा जो---

(i) किसी व्यक्ति के लिए इस बात से वह इस प्रकार खड़ा हुआ या नहीं हुआ या उसने अपनी अभ्यर्थिता [5][वापस ले ली या नहीं ली], अथवा

(ii) किसी निर्वाचक के लिए इस बात के कि उसने मत दिया या मत देने से विरत रहा,

इनाम के रूप में हो,

(आ) (क) व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थिता [6][वापस लेने या न लेने के लिए] ; या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, वह चाहे जो कोई हो; स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने या किसी अभ्यर्थी को अभ्यर्थिता [6][वापस लेने या न लेने के लिए] उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए,

चाहे हेतुक के रूप में या इनामवत् कोई परितोषण प्राप्त करना या प्राप्त करने के लिए करार करना ।

स्पष्टीकरण--इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए "परितोषण" पद धन रूपी परितोषणों या धन में प्राक्कलनीय परितोषणों तक ही निर्बन्धित नहीं है और इसके अन्तर्गत सब रूप के मनोरंजन और इनाम के लिए सब रूप के नियोजन आते हैं किन्तु किसी निर्वाचन में या निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक उपगत और धारा 78 में निर्दिष्ट निर्वाचन व्ययों के लेखे में सम्यक् रूप से प्रविष्ट किन्हीं व्ययों के संदाय इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं ।]

(2) असम्यक् असर डालना, अर्थात् किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की या [7][अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्षतः या परतः हस्तक्षेप या हस्तक्षेप का प्रयत्न :

---

[1] 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 65 द्वारा "भ्रष्ट और अवैध आचरण और निर्वाचन अपराध" शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 66 द्वारा अध्याय 1 और 2 (123 से 125 तक की धाराओं) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 36 द्वारा खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 53 द्वारा (14-12-1966 से) "वापस लेने" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 53 द्वारा (14-12-1966 से) "वापस ले ली" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 53 द्वारा (14-12-1966 से) "वापस लेने के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 36 द्वारा अन्तःस्थापित ।

परन्तु ---

(क) इस खण्ड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें यथानिर्दिष्ट ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत जो---

(i) किसी अभ्यर्थी या किसी निर्वाचक या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे अभ्यर्थी या निर्वाचक हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति, जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से बाहर करना या निष्कासन आता है, पहुंचाने की धमकी देता है, अथवा

(ii) किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा,

यह समझा जाएगा कि वह ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक के निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में इस खण्ड के अर्थ के अन्दर हस्तक्षेप करता है ;

(ख) लोकनीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन या किसी वैध अधिकार या प्रयोगमात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस खंड के अर्थ के अन्दर हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा ।

[1][(3) किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने की अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील या उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उनकी दुहाई या राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या दुहाई :

[2][परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी अभ्यर्थी को आबंटित कोई प्रतीक इस खंड के प्रयोजनों के लिए धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं समझा जाएगा ।]

(3क) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर संप्रवर्तन या संप्रवर्तन का प्रयत्न करना ।]

[3][(3ख) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए सती की प्रथा या उसके कर्म का प्रचार या उसका गौरवान्वयन ।

स्पष्टीकरण---इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सती कर्म" और सती कर्म के संबंध में "गौरवान्वयन" के क्रमशः यही अर्थ होंगे, जो सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का 3) में हैं ।]

(4) किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के सम्बन्ध में या किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता या अभ्यर्थिता वापस लेने के सम्बन्ध में या अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या [4][अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे तथ्य के कथन का प्रकाशन जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसको विश्वास है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है और जो उस अभ्यर्थी के [5]*** निर्वाचन की सम्भाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित कथन है ।

(5) धारा 25 के अधीन उपबन्धित किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान को या से (स्वयं अभ्यर्थी, उसके कुटुम्ब के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) किसी निर्वाचक के [6][मुक्त प्रवहण के लिए किसी यान या जलयान को अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा] या [4][अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदाय करके या अन्यथा, भाड़े पर लेना या उपाप्त करना अथवा [6][ऐसे यान या जलयान का उपयोग करना]:

---

[1] 1961 के अधिनियम सं0 40 की धारा 23 द्वारा (20-9-1961 से) खण्ड (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1975 के अधिनियम सं0 40 की धारा 8 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अन्तःस्थापित ।

[3] 1988 के अधिनियम सं0 3 की धारा 19 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अन्तःस्थापित ।

[4] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 36 द्वारा अन्तःस्थापित ।

[5] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 36 द्वारा "या निर्वाचन लड़ने से हट जाने" शब्दों का लोप किया गया ।

[6] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 53 द्वारा (14-12-1966 से) "प्रवहण के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परन्तु यदि निर्वाचक या कई निर्वाचकों द्वारा अपने संयुक्त खर्चे पर अपने को किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या से प्रवाहित किए जाने के प्रयोजन के लिए यान या जलयान भाड़े पर लिया गया है, तो यदि यान या जलयान यांत्रिक शक्ति से चालित न होने वाला है तो ऐसे यान या जलयान के भाडे. पर लिए जाने की बाबत यह न समझा जाएगा कि वह भ्रष्ट आचरण है :

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को जाने या वहां से आने के प्रयोजन के लिए अपने ही खर्चे पर किसी निर्वाचक द्वारा किसी लोक परिवहन यान या जलयान या किसी ट्राम या रेलगाड़ी के उपयोग की बाबत यह न समझा जाएगा कि वह इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण है ।

स्पष्टीकरण---इस खण्ड में "यान" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाए जाने के योग्य है चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा चालित हो और चाहे अन्य यानों को खींचने के लिए या अन्यथा उपयोग में लाया जाता हो ।

(6) धारा 77 के उल्लंघन में व्यय उपगत करना या प्राधिकृत करना ।

(7) [1][किसी व्यक्ति से, चाहे वह सरकार की सेवा में हो या नहीं] और निम्नलिखित वर्गों , अर्थात् :---

(क) राजपत्रित आफिसरों,

(ख) साम्बलिक न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों,

(ग) संघ के शस्त्र बलों के सदस्यों,

(घ) पुलिस बलों के सदस्यों,

(ङ) उत्पाद-शुल्क आफिसरों,

[2][(च) राजस्व आफिसर, जो लंबरदार, मालगुजार पटेल, देशमुख के रूप में या किसी अन्य नाम से ज्ञात ग्राम राजस्व आफिसरों से भिन्न है, जिसका कर्तव्य भू-राजस्व संगृहीत करना है और जिनको पारिश्रमिक अपने द्वारा संगृहीत भू-राजस्व की रकम के अंश या उस पर कमीशन द्वारा मिलना है किंतु जो किन्हीं पुलिस कृत्यों का निर्वहन नहीं करते, और]

(छ) सरकार की सेवा में के ऐसे अन्य व्यक्ति वर्ग जैसे विहित किए जाएं,

[3][(ज) निर्वाचनों के संचालन के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, सरकारी कंपनी या संस्था या समुत्थान या उपक्रम की सेवा में नियुक्त या प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के वर्ग,]

में से किसी वर्ग में के किसी व्यक्ति से अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए (मत देने से अन्यथा) कोई सहायता अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या [4][अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिप्राप्त या उपाप्त किया जाना या अभिप्राप्त या उपाप्त करने का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करना :

[5][परंतु सरकार की सेवा में का और पूर्वोक्त वर्गों में से किसी वर्ग में का कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता, या उस अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए या उसके संबंध में अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन या तात्पर्यित निर्वहन में (चाहे अभ्यर्थी द्वारा धारित पद के कारण या किसी अन्य कारणवश) कोई इंतजाम करता है या कोई सुविधा देता है या कोई अन्य कार्य या बात करता है तो ऐसा इंतजाम, सुविधा या कार्य या बात उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए सहायता नहीं समझी जाएगी ।]

[6][(8) अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा बूथ का बलात् ग्रहण ।]

स्पष्टीकरण---(1) निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी बाबत यह ठहराया जाए कि उसने अभ्यर्थी की सम्मति से निर्वाचन के संबंध में अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है इस धारा में के "अभिकर्ता" पद के अन्तर्गत आते हैं ।

---

[1] 2009 के अधिनियम सं0 41 की धारा 6 द्वारा (1-2-2010 से) प्रतिस्थापित ।
[2] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 36 द्वारा उपखंड (च) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 2009 के अधिनियम सं0 41 की धारा 6 द्वारा (1-2-2010 से) अंतःस्थापित ।
[4] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 36 द्वारा अंतःस्थापित ।
[5] 1975 के अधिनियम सं0 40 की धारा 8 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित ।
[6] 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 13 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता [1]*** के रूप में कार्य किया है, तो खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने में सहायता दी है ।]

[2][(3) खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में सेवा करने वाला व्यक्ति भी है) या किसी राज्य सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति की नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन---

(i) यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का निश्चायक सबूत होगा, और

(ii) यहां, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के प्रभावशील होने की तारीख ऐसे प्रकाशन में कथित है वहां इस तथ्य का भी निश्चायक सबूत होगा कि ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से नियुक्त किया गया था या पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की दशा में ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से ऐसी सेवा में नहीं रहा था ।]

[3][(4) खंड (8) के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" का वही अर्थ है जो धारा 135क में है ।

भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम संख्यांक 45)

अध्याय 9-क

निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के विषय में

धारा 171 क. "अभ्यर्थी", "निर्वाचन अधिकार" परिभाषित- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये-

[1][(क) "अभ्यर्थी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रुप में नाम निर्देशित किया गया हो;]

(ख) "निर्वाचन अधिकार" से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रुप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है ।

धारा 171-ख. रिश्वत- (1) जो कोई-

(i) किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिये इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है; अथवा

---

1. 1975 के अधिनियम सं. 40 के द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 6.8.1975 से प्रभावी |

(ii) स्वयं अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिये या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिये उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिये इनाम के रुप में प्रतिगृहीत करता है,

वह रिश्वत का अपराध करता है

परन्तु लोकनीति की घोषणा या लोक- कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन अपराध न होगा ।

(2) जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्थापना करता है या देने को सहमत होता है या उपाप्त करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है ।

(3) जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिगृहीत करता है और जो व्यक्ति वह बात करने के लिये जिसे करने का उसका आशय नहीं है, हेतु स्वरुप, या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिये इनाम के रूप में परितोषण प्रतिगृहीत करता है, यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रुप में प्रतिगृहीत किया है ।

धारा 171-ग. निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना- (1) जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छया हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में असम्यक् असर डालने का अपराध करता है ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कोई-

(क) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है, अथवा

(ख) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिये उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवीय अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या, बना दिया जाएगा,

यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है ।

(3) लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र, जो किसी निर्वचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत हस्क्षेप करना नहीं समझा जाएगा ।

धारा 171-घ. निर्वाचनों में प्रतिरुपण- जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मत-पत्र के लिए आवेदन करता या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकाने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम के मत-पत्र के लिए आवेदन करता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है, या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरुपण का अपराध करता है :

[1][परंतु यह तब जबकि, इस धारा में का कुछ भी, उस व्यक्ति को लागू नहीं होगा, जिसको तत्समय प्रवृत किसी विधि के तहत, किसी मतदाता के लिए, परोक्षी के रुप में, मतदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जहाँ तक, वह ऐसे मतदान के लिए एक परोक्षी के रुप में मतदान करता है ।]

धारा 171-ङ. रिश्वत के लिये दण्ड- जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा : परन्तु सत्कार के रुप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दण्डित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण- 'सत्कार' से रिश्वत का वह रुप अभिप्रेत है जो परितोषण, खाद्य, पेय,मनोरंजन या रसद के रुप में है ।

धारा 171-च. निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरुपण के लिये दण्ड- जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरुपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

धारा 171-छ. निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन- जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के सम्बन्ध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा, जो मिथ्या है, और जिसका मिथ्या होना वह जानता या विश्वास करता है अथवा जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है, वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा ।

धारा 171-ज निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय- जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिये कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किये हों, जो कुल मिलाकर दस रुपये से अधिक न हो, उस तारीख से, जिस तारीख को ऐसे व्यय किये गये हों, दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जायेगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किये हैं |

धारा 171-झ. निर्वाचन-लेखा रखने में असफलता- जो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के सम्बन्ध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।

अध्याय 10

अपराध और शास्तियां

51. बाधा डालने, आदि के लिए दंड—जो कोई, युक्तियुक्त कारण के बिना,—

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी निदेश का पालन करने से इंकार करेगा,

तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निदेशों का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

52. मिथ्या दावे के लिए दंड—जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण के किसी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, सन्निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

53. धन या सामग्री आदि के दुरुपयोजन के लिए दंड—जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में राहत पहुंचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गई है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या अधिपत्य में है और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोजन करेगा या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

54. मिथ्या चेतावनी के लिए दंड—जो कोई, जिसे किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिमाण के संबंध में आतंकित करने वाली मिथ्या संकट-सूचना या चेतावनी देता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडनीय होगा।

55. सरकार के विभागों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

56. अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के प्रति मौनानुकूलता—ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की अभिव्यक्त लिखित अनुमति अभिप्राप्त न कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

57. अध्यपेक्षा के संबंध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

58. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

59. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी—धारा 55 और धारा 56 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई अभियोजन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

60. अपराधों का संज्ञान—कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा परिवाद किए जाने पर करने के सिवाय नहीं करेगा,—

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति, उस प्राधिकरण या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी; या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अभिकथित अपराध की और राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या पूर्वोक्तानुसार प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति में कम-से-कम तीस दिन की सूचना दे दी है।

भाग - 7

Bihar Control of the use and Play of Loud Speakers Act, 1955

(Bihar Act 12 of 1955)

The following Act of the Bihar Legislature, having been assented to by the Governor on the 17th May, 1955, was published in the Bihar Gazette, Part IV, No. 5, dated the 8th June, 1955.

An Act to control the use and play of Loud-Speakers in the State of Bihar.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixth Year of the Republic of India as follows :

1. Short title and extent. - (1) This Act may be called the Bihar Control of the Use and Play of Loud-Speakers Act, 1955.

(2) It extends to the whole of the State of Bihar.

2. Definitions. - In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context.

(i) "Loud-speaker" means an instrument to augment small sounds, vocal instrument or recorded ; and

(ii) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act.

3. Restriction against use and play of loud-speakers. - No person shall use and play a loud-speaker-

(a) within such distance as may be prescribed from a hospital or from a building in which there is a telephone exchange; or

(b) within such distance as may be prescribed from any educational institution maintained, managed, recognised, or controlled by the State Government, a University established under any law for the time being in force, or a local authority or admitted to such University, or any hostel maintained, managed or recognised by such institution when such institution or hostel is in the use of students; or

(c) within such distance as may be prescribed from a building in which a Court held during the hour of working of such Court; or

(d) between the hour of 10 P.M. and 6 A.M. without the permission in writing of the prescribed authority:

Provided that the provision of clauses (b), (c) or (d) shall not apply to any local area other than a municipal area until a notification applying the provision to such local area has been published in the official Gazette by the State Government or the prescribed authority.

Explanation. - A 'municipal area' means any area constituted for the time being a municipality or a notified area under the Bihar and Orissa Municipal Act, 1922 (B. & O. Act VII of 1922)] and includes Patna] as defined in the Patna Municipal Corporation Act, 1951 (Bihar Act XIII of 1952).

4. Exemption. - Notwithstanding anything contained in clauses (a), (b) and (c) of section 3, a loud-speaker may be used and played with the permission in writing of the prescribed authority for any cultural, educational or humanitarian purposes connected with the maintenance of law and order.

5. Application for permission to use loud-speaker. - (1) Every application for permission under section 3 or 4 shall be made to the prescribed authority in the prescribed form and shall bear a court-fee stamp of one rupee:

Provided that no fees shall be charged for applications for the use and play of loud-speakers for humanitarian purposes or for purposes connected with the maintenance of law and order.

(2) The prescribed authority may grant or reject the application and, in granting such application, may impose any restriction or condition subject to which the applicant may use and play a loud-speaker.

6. Cognizance of offence under this Act. - No Magistrate shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by, or at the instance of, the person aggrieved by such offence or upon a report in writing made by any police officer:

Provided that nothing contained in this section shall affect the provisions of the [Code of Criminal Procedure, 1973] (2 of 1974), in regard to the powers of certain Magistrate to take cognizance of offences upon information received or upon their own knowledge.

7. Power to seize loud-speaker. - (1) Any police officer, not below the rank of assistant sub-inspector of police, who finds a person using and playing a loudspeaker in contravention of the provisions of this Act, may seize the loud-speaker.

(2) Such police-officer of any Court before which the loud-speaker is produced may release it in favour of any person claiming to be entitled to the possession thereof on his executing a bond with or without sureties, to the satisfaction of the police officer or the Court, engaging to produce the laud-speaker whenever called upon to do so.

8. Offences to be bailable. - An offence under this Act shall be bailable.

9. Penalty. - Any person who contravenes any of the provisions of this Act shall be punishable with imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to one hundred rupees or with both; and the Court trying such contravention may, on conviction of such person, direct that the loud-speaker seized under section 7 shall be forfeited to Government:

Provided that when the owner of the loud-speaker is a person other than the person convicted, the Court shall, before passing the order of forfeiture, give such owner a reasonable opportunity of showing cause, if any against such order.

10. Power to make rules - The State Government may, after previous publication in the official gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

11. Repeal - The Bihar Control of the Use and Play of Loud-Speakers Act, 1947 (Bihar Act XIII of 1950), is hereby repealed.

भाग - 8

PREVENTION OF DEFACEMENT OF PROPERTY ACT, 1987

(Bihar Act 5 of 1987)

CONTENTS

Section Section
1. Short title, extent and commencement.
4. Offence to be cognizable
2. Definition 5. Power of State Government to erase writing, etc.
3. Penalty for defacement of property.
6. Act to override other Laws.

PREVENTION OF DEFACEMENT OF PROPERTY ACT, 1987

(Bihar Act 5 of 1987)

[14th April, 1987]

An Act to provide, in the public interest for the prevention of Defacement of property and for matters connected therewith or incidental thereto

Be it enacted in the thirty- eighth year of the Republic of India by the Legislature of Bihar as follows:-

1. Short title, extent and commencement- (1) This Act may be called the Bihar Prevention of Defacement of Property Act, 1987

(2) It extends to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Definition:- In this Act, unless the context otherwise requires-

(a) "Defacement" includes impairing or interfering with the appearance or beauty or damaging, disfiguring, spoiling or injuring in any other way whatsoever:

(b) "Property" includes any building, structure, wall, tree, fence, post or any other erection;

(c) "Writing" includes decoration, lettering, ornamentation, etc produced by stencil.

3. Penalty for defacement of property- (1) Anybody, who deface any property in public view by writing or marking with ink, chalk, paint or any other material, except for the purpose of indicating the name and address of the owner or occupier of such property shall be deemed to have committed an offence under this Act and shall be punishable with imprisonment for term wich may extended to six months or with fine, which may extend to one thousand rupees, or with both.

(2) Where any offence committed under sub- section (1) is for the benefit of some other person or a company or body corporate or an association of persons (whether incorporated or not), then such other person or President, Chairman, Director, Partner, Manager, Secretary, agent or any other officer or person concerned the management thereof, as the case may be, shall, unless he proves that the offence was committed without his knowledge or consent be deemed to be guilty of such offence.

(3) The owner or the occupier of a private property, after giving written consent, may permit, any person or persons, contesting an election, to which the Representation of The People Act, 1951 is applicable, either as an independent candidate or on the symbol of a recognized political party, to use his private property for the purpose of election campaign during the period notified by

the Election Commission for the completion of the process of that election.

For the purpose of this sub- section private property means property which is owned or in lawful possession of a person or persons and is not used for any public purposes what so ever.

(Amendment in section-3 of the Act, Jharkhand Act,5, 1987- The new sub-section by Jharkhand Prevention of Defacement of Property (Amendment) Act 2014 w.e.f notification dated 20.10.2014)

4. Offence to be cognizable- An offence punishable under this Act shall be cognizable.

5. Power of State Government to erase writing etc.- Without prejudice to provisions of Section 3, the State Governemnt shall be competent to take such steps, as may be necessary, for erasing any writing removing any defacement, removing any mark from any property.

6. Act to override other Laws.- The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force.

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 वैशाख 1932 (श0)

(सं0 पटना 297) पटना, बुधवार, 28 अप्रील 2010

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

28 अप्रील 2010

सं0 एल0जी0-1-08/2010/लेज-144—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 24 अप्रील 2010 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मजहर इमाम,
सरकार के प्रभारी सचिव।

[बिहार अधिनियम 18, 2010]

बिहार सम्पति विरूपण निवारण (संशोधन), अधिनियम 2010

बिहार सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम 1985 का संशोधन करने के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ।—(1) यह अधिनियम बिहार सम्पति विरूपण निवारण (संशोधन) अधिनियम 2010 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. बिहार अधिनियम 5, 1987 की धारा–3 में संशोधन।—उक्त अधिनियम की धारा–3 की उप–धारा (2) के बाद निम्नलिखित एक नई उप–धारा (3) जोड़ी जायेगी :–

D:\Anil Sir\NGR Code of Conduct 2022(AKRUTI)

"(3) किसी सम्पति का स्वामी अथवा अधिभोगी, लिखित सहमति देने के पश्चात्, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो, वैसा चुनाव, जिन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लागू होता हो, चाहे स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में अथवा किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हो, अपनी निजी सम्पति का उपयोग, चुनाव में प्रचार करने के प्रयोजनार्थ, उस अवधि, में जो चुनाव आयोग द्वारा उस चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने हेतु अधिसूचित किया जाय, करने की अनुमति दे सकेगा ।

इस उप–धारा के प्रयोजनार्थ निजी सम्पति से अभिप्रेत है वैसी सम्पति जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के स्वामित्व अथवा वैध कब्जे में हो और किसी भी प्रकार से सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाता हो ।"

28 अप्रील 2010

सं0 एल0जी0 1-08/2010/लेज-145—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा-पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 अप्रील 2010 को अनुमत बिहार सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मजहर इमाम,
सरकार के प्रभारी सचिव।

[Bihar Act 18, 2010]

THE BIHAR PREVENTION OF DEFACEMENT OF PROPERTY (AMENDMENT), ACT, 2010

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR PREVENTION OF DEFACEMENT OF PROPERTY ACT, 1985

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty one year of the Republic of India as follows :-

1. *Short title, extent and commencement* .—(1) This Act may be called the Bihar Prevention of Defacement of Property (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Amendment in section-3 of the Act, Bihar Act 5, 1987.*— The following new sub-section (3) shall be added after sub-section (2) of section-3 of the said Act :-

"(3) The owner or the occupier of a private property, after giving written consent, may permit, any person or persons, contesting an election, to which The Representation of The People Act 1951 is applicable, either as

D:\Anil Sir\NGR Code of Conduct 2022(AKRUTI)

an independent candidate or on the symbol of a recognized political party, to use his private property for the purpose of election campaign during the period notified by the Election Commission for the completion of the process of that election.

For the purpose of this sub-section private property means property which is owned or in lawful possession of a person or persons and is not used for any public purposes what so ever."

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 297-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में

आवश्यक सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वार निर्गत प्लास्टिक अपषिष्ट प्रबंधन (संषोधन) नियम, 2021 की अधिसूचना संख्या– G.S.R 571 (E) दिनांक 12 अगस्त, 2021 द्वारा चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, संग्रहण, वितरण, परिवहन, बिक्री एवं उपयोग पर संपूर्ण भारतवर्ष में दिनांक 01.07.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना है।

प्लास्टिक अपषिष्ट प्रबंधन (संषोधन) नियम, 2021 के नियम 4(2) के तहत निम्नलिखित एकल उपयोग प्लास्टिक (पॉलीस्टाइरीन एवं एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन अथवा थर्मोकोल सहित) के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर दिनांक 01.07.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जायेगाः'

(क) ईयर–बड की प्लास्टिक डंडी, बैलून का प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक झंडे, कैन्डी में लगी प्लास्टिक की डंडी, आईसक्रीम की डंडी, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) का सजावट में उपयोग;

(ख) प्लास्टिक (थर्मोकोल सहित) के प्लेट, कप, गिलास, कटलरी के समान जैसे– कॉटा, चम्मच, छूरी, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डब्बों को लपेटने हेतु पतले प्लास्टिक के सीट, आमंत्रण पत्र, सिगरेट के पैकेट की पैकेजिंग, 100 माइक्रोन से कम के पी.वी.सी. बैनर, स्टरर इत्यादि।

उपरोक्त प्रतिबंध कंपोस्टयोग्य प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं (कैरी बैग को छोड़कर) पर लागू नहीं होंगे।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 525 दिनांक 18.06.2021 एवं 1012 दिनांक 17.12.2021 के द्वारा भी उपरोक्त चिन्हित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, परिवहन, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर दिनांक 01.07.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या– 943 दिनांक 24.10.2018 एवं 1043 दिनांक 11.12.2018 द्वारा सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग (नन–उवेन प्लास्टिक कैरी बैग समेत) के उत्पादन, आयात, परिवहन, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग को राज्य की परिसीमा में पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

इस आम सूचना के द्वारा उल्लेखित उत्पादों के उत्पादनकर्त्ता, संग्रहणकर्त्ता, थोक एवं खुदरा बिक्रेता, दुकानदार, ई.–कॉमर्स कम्पनियाँ, शॉपिंग सेन्टर, मॉल, सिनेमाघरों, पर्यटन स्थल, विद्यालय, कॉलेज परिसर, अस्पताल परिसर के स्वामी / अधिभोगी, संस्था एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त चिन्हित समानों का उपयोग क्रमवार कम करते हुए दिनांक 30.06.2022 तक पूर्णतः रोक दें। दिनांक 01.07.2022 से चिन्हित प्लास्टिक के समानों का उत्पादन, आयात, संग्रहण, परिवहन, वितरण, बिक्री एवं उपयोगकर्त्ताओं के विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई की जायेगी।

उक्त सूचना के माध्यम से सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने–अपने क्षेत्राधिकार में उक्त उत्पादों की उपलब्धता दिनांक 30.06.2022 तक शून्य कर लें।

उपरोक्त नियमों के उल्लंघनकत्ताओं के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत समानों की जब्ती, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, संस्थानों, व्यवसायिक परिक्षेत्रों, औद्योगिक इकाईयों को बंद करना शामिल हो सकता है।

सदस्य–सचिव

BIHAR

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

ई.मेल–msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट–http://bspcb.bihar.gov.in